भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर / **Regional Office, Gandhinagar**

बी -215 & बी-216 "अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर /302004-B-215& B-216, "ARANYA BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004 दूरभाष 0141-2713858, Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

दिनांक:**As per e sign**

सेवा में,

शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन
जयपुर, राजस्थान।

(प्रस्ताव क्रमांक FP/RJ/ROAD/41556/2019)

विषय: राजस्थान के कोटा जिले में सलावदखुर्द से बड़ोदिया अंतरी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के लिए 4.896 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के लोक निर्माण विभाग, कोटा, राजस्थान के पक्ष में व्यपवर्तन - के संबंध में। (Diversion of 4.896 ha of Protected Forest Land for construction of road from Salawadkhurd to Barodiya Antari under PMGSY in Kota District of Rajasthan in favour of Public Works Department, Kota, Rajasthan- regarding).

सन्दर्भः राज्य शासन, राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.1(138) वन/2025 दिनांक 09.12.2025.

महोदय,

संदर्भित विषय के अंतर्गत यह उल्लेख किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 17.09.2025 के माध्यम से, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम 10(2)(v) के प्रावधानों के अनुसार, उक्त प्रस्ताव को सीधे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। (In reference to the subject cited above, it is stated that through this office's letter dated 17.09.2025, the State Government was requested, in accordance with the provisions of Rule 10(2)(v) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, to submit the said proposal directly to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi).

इस संदर्भ में, राज्य शासन से प्राप्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि तकनीकी सीमाओं के कारण प्रस्ताव को सीधे मंत्रालय को ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तथा इस हेतु इस कार्यालय से NIC सेल से समन्वय करने का अनुरोध किया गया है। (In this regard, it has been informed through above referenced letter received from the State Government that, due to technical limitations, it is not possible to submit the proposal directly to the Ministry through the online mode (Parivesh 1.0 Portal), and accordingly, this office has been requested to coordinate with the NIC Cell).

उक्त विषय पर सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्ताव को नियमों के अनुरूप सीधे मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया हेतु NIC सेल से आवश्यक तकनीकी समन्वय राज्य शासन स्तर पर ही किया जाना अपेक्षित है। अतः, आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में NIC सेल से सीधे संपर्क / पत्राचार कर आवश्यक तकनीकी समाधान सुनिश्चित करें, जिससे प्रस्ताव को नियमानुसार मंत्रालय को सीधे प्रस्तुत किया जा सके। (On the directions of the Competent Authority, it is clarified that for submission of the proposal directly to the Ministry in accordance with the rules, the necessary technical coordination with the NIC Cell is required to be undertaken at the level of the State Government itself. Therefore, you are requested to contact / correspond directly with the NIC Cell in this matter and ensure the necessary technical solution, so that the proposal may be submitted

directly to the Ministry as per the prescribed rules).

Otherwise, the online proposal may be processed on PARIVESH 2.0 by selcting appropriate scenario applicable to the instant case.

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।
(This issues with the approval of the Competent Authority)

भवदीय/Sincerely,

Digitally signed by Balaji Kari
Date: 26-12-2025 17:24:39

(बालाजी करी/Balaji Kari)
सहायक वनमहानिरीक्षक/Assistant Inspector General of Forests
क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar.

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:</u>

1. The Technical Director, National Informatics Centre (NIC), Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi- 110003 (anil.kumar@nic.in) with a request to do the needful.